

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार, 11 जून, 2024 / 21, ज्येष्ठ, 1946 (शक)

संख्या- 146

विषय :- कृषि उपज विपणन समिति(एपीएमसी) (शाहदरा) गाज़ीपुर में एक सदस्य का नामांकन।

माननीय सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने डीएपीएम (ई) नियमावली, 2000 के नियम 68(2) के साथ डीएपीएम(आर) अधिनियम 1998 की धारा 36(1)(एफ) के अनुसार श्री कुलदीप कुमार, माननीय विधायक को कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) (शाहदरा) गाज़ीपुर के सदस्य के रूप में सहर्ष नामांकित किया है।

उप सचिव (विधायी)

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday, 11 June, 2024/21 Jyeshtha, 1946 (Shaka)

No. 146

**Sub: Nomination of one MLA as a Member of APMC (Shahdara)
Gazipur.**

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker, Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri Kuldeep Kumar, Hon'ble MLA as member of Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) (Shahdara) Gazipur, as per Section 36(1)(f) of DAPM(R) Act 1998, r/w, Rule 68(2) of the DAPM(E) Rules, 2000.

Deputy Secretary (Legislation)